भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 525

03 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

बुंदेलखंड क्षेत्र में एनएफएसए

525. **श्री अनुराग शर्मा:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के जिलों को आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वितरित वास्तविक मात्रा कितनी थी;

(ख) खाद्यान्न वितरण में अनियमितताओं और लीकेज को रोकने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण हेतु ई-पीओएस मशीनों की स्थापना और संचालन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बुंदेलखंड क्षेत्र के लाभार्थियों को वर्तमान कोटे के अंतर्गत मौजूदा पात्रता के अलावा दालें, खाद्य तेल और श्रीअन्न जैसी अतिरिक्त पोषण सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत संचालित होती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य में निर्दिष्ट गोदामों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। एनएफएसए की धारा 24(3) के अनुसार, निर्दिष्ट गोदामों से खाद्यान्न प्राप्त करना और लाभार्थियों तक वितरण सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जिलेवार आबंटन और वितरण **अनुबंध-I** के अनुसार है।

...2/-

(ख): उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अनुसार, बुंदेलखंड क्षेत्र के सात जिलों में सभी उचित दर दुकानों (एफपीएस) में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद पात्र लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करने के लिए ई-पीओएस मशीनें स्थापित की गई हैं।

(ग) और (घ): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर, एनएफएसए के अंतर्गत पोषक अनाज के रूप में मिलेट्स (श्री अन्न) सहित मोटे अनाज को गेहूँ/चावल की समान मात्रा के बदले आबंटित करता है। डीएफपीडी ने एनएफएसए के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 में (27.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार) क्रमशः 2.86 लाख टन और 0.193 लाख टन मिलेट्स (श्री अन्न) आबंटित किया था। ज़िलेवार आबंटन संबंधित राज्य की ज़िम्मेदारी है।

इसके अलावा, पीडीएस के तहत दालें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तथापि, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के तहत बनाए गए बफर से दालें समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन (एमडीएम) के लिए उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार आबंटित की जाती हैं।

*****

लोक सभा में दिनांक 03.12.2025 के उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 525 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध।

(टन में)

अप्रैल 2022 से मार्च 2023		
जिले का नाम	**खाद्यान्नों का कुल आबंटन**	**खाद्यान्नों का कुल वितरण**
चित्रकूट	55398.170	52373.960
बाँदा	95794.570	88730.743
महोबा	47765.920	44701.375
हमीरपुर	63178.830	57541.390
जालौन	79513.740	73400.868
झांसी	100078.715	93833.197
ललितपुर	63988.960	59611.054
कुल	**505718.905**	**470192.587**
अप्रैल 2023 से मार्च 2024		
जिले का नाम	**खाद्यान्नों का कुल आबंटन**	**खाद्यान्नों का कुल वितरण**
चित्रकूट	52971.656	50260.226
बाँदा	93884.168	87381.983
महोबा	47337.054	42616.510
हमीरपुर	61105.917	55957.447
जालौन	77396.251	71054.332
झांसी	96770.701	91589.005
ललितपुर	63910.035	59136.765
कुल	**493375.782**	**457996.268**
अप्रैल 2024 से मार्च 2025		
जिले का नाम	**खाद्यान्नों का कुल आबंटन**	**खाद्यान्नों का कुल वितरण**
चित्रकूट	52927.510	50569.612
बाँदा	93076.804	87703.849
महोबा	47529.972	43352.157
हमीरपुर	60352.592	55652.126
जालौन	71498.410	65898.463
झांसी	98714.289	93727.722
ललितपुर	63169.982	59633.827
कुल	**487269.557**	**456537.756**
सकल योग	**1486364.244**	**1384726.611**

*****